	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	C. No. 138/2014 रामजीवण / गनी खां	
16/10/15	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.; पीठासीन अधिकारी [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते [illegible] दिनांक 05/11/15 को पेश हो।	
05/11/15	पत्रावली पेश है। वकील पक्षकारान उप.। अप्रार्थी/1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील पक्षकारान को मूल प्रा० पत्र पर बहस सुनी गई। प्रा० पत्र आदेश कर खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार काम हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 138/2014

1. रामजीलाल पुत्र स्व. श्री भोमा, जाति अहीर (यादव), आयु– 40 साल
2. रामा पुत्र स्व. श्री भोमा, जाति अहीर (यादव), आयु 37 साल
3. महावीर पुत्र स्व. श्री भोमा, जाति अहीर (यादव), आयु 35 साल
4 बद्री पुत्र स्व. श्री भोमा, जाति अहीर (यादव), आयु बालिग
5. रूकमा देवी बेवा भोमा जाति अहीर (यादव), आयु– 70 साल, निवारानि–ग्राम पाटन, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान (मृतक)

वादी संख्या 1 लगायत 5 सर्वनिवासीगण ग्राम पाटन, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।

5/1 भंवरी पुत्री स्व. श्री भोमा, पत्नि श्री जगदीश जाति अहीर (यादव), निवासिन– ग्राम पाटन, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान

5/2 शान्ति पुत्री स्व. श्री भोमा, पत्नि श्री रामजीलाल, जाति अहीर (यादव), निवासिन– ग्राम पाटन, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान

5/3 सुगना पुत्री स्व. श्री भोमा पत्नि श्री रामनिवास, जाति अहीर (यादव), निवासिन– ग्राम पाटन, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान

– प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. गनी खां पुत्र अलाबन्द खां, जाति मुसलमान, आयु बालिग (मृतक)

1/1 इब्राहीम खां दत्तक पुत्र गनी खाँ, जाईन्दा पिता सिकन्दर खाँ, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम पाटन, तहसील किशनगढ,जिला अजमेर, राजस्थान

2. नर्मदा देवी पत्नि हीरा जाति यादव, आयु– बालिग
3. पार्वती देवी पत्नि नन्द लाल जाति यादव, आयु– बालिग

2 लगायत 3 सर्वनिवासीगण ग्राम पाटन, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।

4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ
5. उप पंजीयक किशनगढ़।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री इन्द्रेश कुमार व भवानी सिंह
वकील अप्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

दिनांक 05.01.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रेश कुमार व भवानी सिंह राठौड ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. के तहत पेश कर निवदेन किया कि ग्राम पाटन स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 388/615 रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा के मूल खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 गनी खां पुत्र अलाबन्द खां थे। उपरोक्त गनी खां पुत्र अलाबन्द खां द्वारा उपरोक्त भूमि मे से 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसाका सीमा विस्तार विवरण निम्नानुसार है को प्रार्थीगण के पूर्वाधिकार पिता/पति भोमा पुत्र मन्शा, जाति अहीर को दिनांक 22.2.1977 के पंजीयत विक्रय विलेख द्वारा विकय की. थी। यह विकय विलेख उप पंजीयक किशनगढ कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया एवं उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी भोमा पुत्र मन्शा तत्समय काबिज हो गये। सीमा विस्तार तत्समय विकित 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि का :–पूर्व मुझ विक्रेता की बचत की जमीन,पश्चिम गोपाल अहीर की जमीन जो रामजीवण व रामलाल पुत्र गोपाल अहीर के खातेदारी की है। उत्तर –सूरजकरण व छोटू कुम्हार की जमीन, दक्षिण –भोलू अहीर का खेत, प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी उपरोक्त भोमा पुत्र मन्शा का देहावसान हो चुका है तथा प्रार्थीगण उनके हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस उत्तराधिकारी होकर उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण, उनके पूर्वाधिकारी ने उपरोक्त भूमि खरीद पश्चात उस पर बहूमूल्य अर्थश्रम विनिवेश कर उसे काश्त योग्य कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उपरोक्त खसरा संख्या 388/615 रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा में से 22 बीघा 17 बिस्वा रासजीवरण, रामलाल पुत्र गोपाल को विक्रय की। जिसका खसरा संख्या 388/615/1 होकर दर्ज है तथा शेष खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

388/615 की बची 12 बीघा भूमि मे से उपरोक्त गनी खाँ द्वारा 8 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 2, 3 को विकय कर दी तथा शेष 4 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 गनी खाँ के नाम खातेदारी में दर्ज है। यह मूलतः वही भूमि है जो प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी भोमा पुत्र मन्शा ने अप्रार्थी संख्या 1 से प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 2 में वर्णित विकय विलेख द्वारा खरीद की थी तथा प्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारियों के समय से विगत 37 वर्ष अधिक अवधि से सतत् काबिज चले आ रहे है एवं प्रार्थीगण का उपरोक्त भूमि में हित अधिकार अन्तरनिहित रहता है। सामान्य व्यवहार विधि में भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख से पाबन्द है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त भूमि जिसमें प्रार्थीगण का वर्णितानुसार 3 बीघा 15 बिस्वा हित, अधिकार उपरोक्त विक्रय विलेख दिनांक 22.2.1977 से अन्तरनिहित करता है को उन्हें अन्तरण किये जाने का उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा 42 (अ) के तहत अपखण्डन के को विलोपित किया गया है तथा इस विलोपन का प्रभाव भूतलक्षी (Retrospactive) श्रेणी का माना गया है तथा राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के अन्तरणों को समय–समय पर नियमानुसार विधिक मान्यता प्रदत्त की गयी है। जिसके बाबत् प्रार्थीगण नियमानुसार कार्यवाही क्रिये जाने में उद्दत है। अन्यथा भी उपरोक्त अन्तरण दिनांक 22.2.1977 के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 के अधिकारों का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सम्पति अन्तरण अधिनियम से व्ययन हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त सम्पति को अन्तरण किये जाने का कोई विधिक अधिकार नही है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 2 में वर्णित विकय विलेख के अधिकार घोषणा के बाबत् वादीगण / प्रार्थीगण ने माननीय न्यायलय में वाद संस्थित कर रखा है। जिसमें आगामी दिनांक 30.10.2014 है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीगण के विकंग्र विलेख की जानकारी के रहते हुये भी उपरोक्त भूमि को पुनः आपराधिक वर्ग के तत्व जो विवादित जमीनें औने पौनें दामों में खरीद करते है को विकय करने में उद्दत हो रहे है। इस हेतु दिनांक 2.9.2014 को अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त भूमि पर आकर विभिन्न व्यक्तियों को भूमि बताकर विक्रय करने का प्रस्ताव करने लगे। जिस पर प्रार्थीगण ने उन्हें स्वयं के पक्ष में वर्णित दिनांक 22.2.1977 के विकय विलेख की जानकारी दी तो वह प्रार्थीगण से आमादा फसाद होकर कहनें लगे कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनका नाम जमाबन्दी में दर्ज है। अतः वह किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को विक्रय करके रहेंगे। अप्रार्थी का उपरोक्त कृत्य अविधिक एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है तथा अप्रार्थीगण दिन प्रतिदिन प्रार्थीगण को धमकी देते है कि वह कभी भी प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि से बलात बेदखल करके रहेंगे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 8 में वर्णित कृत्य अविधिक, अनुचित होकर विवादों को बढावा देने वाला है तथा प्रार्थीगण के लिये प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 8 में वर्णित अप्रार्थीगण के उपरोक्त आचरण से आवश्यक है कि वह उनके विरूद्ध इस आशय की वाद गुणानुगुण निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पाटन की भूमि खसरा संख्या 388/615 रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा में से प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी की खरीदशुदा भूमि 3 बीघा 15 बिस्वा को किसी भी रूप में अन्तरित भारग्रस्त नही. करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नही करे, प्रार्थीगण को बलात बेदखल नहीं करें। प्रथम दृष्टयां पक्ष सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी भोमा ने वर्णित भूमि प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 2 में वर्णित पंजीयत विकय विलेख के माध्यम से सदभाविक केता स्वरूप खरीद की है एवं प्रार्थीगण ने उपरोक्त भूमि खरीद पश्चात उस पर सदभाविक क्रेता स्वरूप बहुमूल्य अर्थ श्रम राशि का विनिवेश कर काश्त योग्य किया है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त भूमि अन्तरण नही किये जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वाद निष्फल हो जायेगा। वाद बाहुल्यता का विस्तार होगा एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। क्योंकि प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी भोमा ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि जरिये पंजीयत विक्रय विलेख द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से बहुमूल्य राशि संदाय कर पंजीयत विकय विलेख के द्वारा खरीद की है एवं ज्ञोत के अपखण्डन के बाबत धारा 42 (अ) का भूतलक्षी प्रभाव से विलोपन होकर विकय विलेख वैद्य व प्रभावी हो चुका है। अन्यथा भी अप्रार्थी संख्या 1 को विकित भूमि के बाबत पुनः विकय किये जाने का कोई अधिकार नही रहता है। यदि

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अप्रार्थी संख्या 1 को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक उपरोक्त भूमि के अन्तरण नही किये जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो उन्हें कोई कठिनाई नही होगी। प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे 'कि ग्राम पाटन के खसरा संख्या 388/615 मे से प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी भोमा की खरीदशुदा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 किसी को भी अन्तरित नही करें न ही किसी प्रकार से बन्धक कर भारग्रस्त करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे, काश्त में अप्रार्थी संख्या 1 दखल अन्दाजी नही करें, प्रार्थीगण को बलात बेदखल नही करें। इस आशय की वाद गुणानुगुण निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी को पाबन्द कर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे।

2. प्रार्थना पत्र को दिनांक 08.09.2014 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 02, 03 की ओर से बावजूद तामिली के जवाब पेश नहीं किया गया जिससे उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 18.09.2016 को प्रार्थी रफीक द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया अप्रार्थी संख्या 01 की मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 14.09.2016 को वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश किया। दिनांक 18.12.2019 को वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी संख्या 05 के फौत होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03, 09 सी.पी.सी. का पेश किया। दिनांक 24.01.2020 को अप्रार्थी संख्या 01 के विधिक वारिसान की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 25.08.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. को स्वीकार किया गया। दिनांक 07.05.2024 तक भी बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 02, 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई दिनांक 08.04.2025 तक जवाब पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या 04, 05 का जवाब बन्द कर दिया गया। दिनांक 05.01.2026 को अप्रार्थी संख्या 1/1 का जवाब बन्द किया गया।

3. दिनांक 05.01.2026 को वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

प्रथम दृष्टया प्रकरणः— वादअधीन भूमि में प्रार्थीगण रजिस्टर्ड दस्तावेज के अनुसार खातेदार है तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का हक, अधिकार है, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः— वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 08.09.2014 से अस्थाई निषेधाज्ञा कायम है, अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षतिः— अप्रार्थीगण पूर्व में ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द है, अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से यदि ताफैसला पाबन्द नहीं किया गया और अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौके में परिवर्तन कर दिया गया तो अपूरणिय क्षति प्रार्थीगण को कारित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि ग्राम पाटन स्थित भूमि खसरा संख्या 388/615 में प्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि 03 बीघा 15 बीस्वा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थीगण को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें तथा वादअधीन भूमि में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़